



क्रमांक प. 20(84) प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12/10/18

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित है, एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भी शुल्क निर्धारित है लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित शुल्क काफी कम है, शुल्क में अंतर का फायदा उठाने के लिए लोग पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हैं, जिससे राजस्व की हानि होती है।

विभाग द्वारा विधि विभाग से इस सम्बन्ध में राय प्राप्त की गई। विधि विभाग द्वारा निम्न राय प्रदान की गई है—

“यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपी लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपी लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।”

अतः समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विधि विभाग की उक्त राय के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

(रविशंकर श्रीवास्तव)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक।
7. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।

8. सचिव, पत्रावली।

शासन उप सचिव